

रिटेल ऋणों के लिए 'संपूर्ण लागत'

एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार: इसमें प्रोसेसिंग प्रभार, दस्तावेजीकरण प्रभार, दस्तावेज सत्यापन प्रभार तथा पूर्व एवं एकबारगी स्वीकृति पश्चात निरीक्षण प्रभार शामिल हैं।

क्र.सं.	रिटेल उत्पाद	प्रभार
1.	बड़ौदा आवास ऋण आवास ऋण का अधिग्रहण	रु. 20/- लाख तक के ऋण: 0.35% रु. 20/- लाख से ऊपर के ऋण: 0.40% अधिकतम: रु. 15000/- (उपर्युक्त के अलावा सेवा कर (एसटी) अलग से लिया जाएगा) 0.10% अधिकतम रु. 5000/- + सेवा कर
2.	बड़ौदा ऑटो ऋण ए. रु. 15 लाख तक के कार ऋण बी. एचएनआई/ कार्पोरेट को रु. 15 लाख से ऊपर के कार ऋण सी. दो पहिया वाहन ऋण	0.75% अधिकतम रु. 6000/- + सेवा कर 0.50% अधिकतम रु. 15000/- + सेवा कर 2.00% न्यूनतम रु. 250/- + सेवा कर
3.	बड़ौदा शिक्षा ऋण ए. बड़ौदा विद्या बी. बड़ौदा ज्ञान सी. बड़ौदा स्कॉलर	शून्य शून्य 1% (ऋण प्राप्त करने के पश्चात वापस किया जाएगा)
4.	बड़ौदा वैयक्तिक ऋण	निम्नलिखित को छोड़कर 2% न्यूनतम रु. 250/- + सेवा कर: पेंशनर्स को ऋण: रु. 100/- + सेवा कर की निश्चित राशि तथा बयाना जमा करने के लिए ऋण: 0.35% + सेवा कर

- प्रोसेसिंग प्रभार प्रारंभ में ही वसूल किया जाना है।
- प्रारंभ में वसूल किए गए प्रोसेसिंग प्रभार का 50% वापस किया जा सकता है यदि अग्रिम मंजूर किया गया है परंतु उधारकर्ता द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया है।
- यदि रु. 5.00 लाख तक की ऋण स्वीकृत नहीं की जाती है तो कोई प्रोसेसिंग प्रभार नहीं।

अधिवक्ता तथा मूल्यांकनकर्ता के संबंध में प्रभार:

उपर्युक्त एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभारों के अलावा वास्तविक आधार पर विधिक परामर्श शुल्क तथा मूल्यांकन प्रभार वसूल किए जाने चाहिए।

पूर्व-भुगतान प्रभार:

क्र.सं.	रिटेल उत्पाद	प्रभार
1.	बड़ौदा आवास ऋण	शून्य
2.	बड़ौदा ऑटो ऋण	शून्य
3.	बड़ौदा शिक्षा ऋण	शून्य
4.	बड़ौदा वैयक्तिक ऋण	शून्य

निरीक्षण प्रभार:

क्र.सं.	रिटेल उत्पाद	प्रभार
1.	बड़ौदा आवास ऋण	निरीक्षण पश्चात: प्रथम निरीक्षण पश्चात- शून्य दूसरा और उसके बाद – रु. 100/- + आउट ऑफ़ पॉकेट प्रभार + वाहन प्रभार (प्रति निरीक्षण) + सेवा कर
2.	बड़ौदा ऑटो ऋण	निरीक्षण पश्चात: प्रथम निरीक्षण पश्चात- शून्य दूसरा और उसके बाद – रु. 100/- + आउट ऑफ़ पॉकेट प्रभार + वाहन प्रभार (प्रति निरीक्षण) + सेवा कर
3.	बड़ौदा शिक्षा ऋण	शून्य
4.	बड़ौदा वैयक्तिक ऋण	शून्य

ब्याज दर: समय-समय पर यथालागू ब्याज दर चार्ट उपलब्ध कराया जाना है (समय-समय पर परिवर्तन के अधीन)

रिटेल ऋण पर वर्तमान ब्याज दर के लिए [यहां क्लिक करें](#).

विधिक रिपोर्ट/ मूल्यांकन प्रभार:

वास्तविक प्रभार वसूल किया जाना है.

नियत-प्रभार से चल-प्रभार में रूपांतरण:

बड़ौदा आवास ऋण: (नियत दर विकल्प के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए लागू)

नियत-दर से चल-दर विकल्प-

- एकबारगी प्रक्रिया
- ऋण की शेष अवधि के लिए @0.50% की दर से प्रत्येक वर्ष के लिए, रूपांतरण की अनुमत तिथि पर शेष राशि का अधिकतम 2%+सेवा कर
- समय पूर्व बंद किए जाने के लिए शुल्क प्रभारित करने की शर्त के साथ (आवास ऋण की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बकाया राशि का @0.50% + सेवा कर , अधिकतम 3% के अधीन) निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए उधारकर्ता की स्वीकृति ली जानी चाहिए.

चल-दर से नियत-दर विकल्प- विकल्प उपलब्ध नहीं है.